


# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्न प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भीतिक विज्ञान के स्थानान्तरण उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम प्राध्यापक (सर्वेशी/ श्रीमती)	कहाँ से (राजमार्ग)	जिला	कहाँ को (राजमार्ग)	जिला
1	REHANA BE	GOVT. GIRLS HR.SEC. SCHOOL JAHAJPUR	BHILWARA	GOVT. SR. SEC. SCH. KOTHI NATMAM TONK	TONK
2	NAVEEN KUMAR SHARMA	GOVT. SR. SEC. SCH. KOTHI NATMAM TONK	TONK	GOVT. SR. SEC. SCH. PACHEWAR, MALPURA (08220103610) (MALPURA-	TONK
3	BHAWANI SHANKAR GURJAR	Swami Vivekanand Govt. Model School, Todaraisingh, Block-Todaraisingh	TONK	GOVT. SR. SEC. SCH. DARBAR TONK, TONK (08220229503) (TONK)	TONK
4	MANRAJ SINGH GURJAR	GOVT. SR. SEC. SCH. ASAWATA	PRATAPGARH	GOVT. HR. SEC. SCH. RAWATKHERA, JAHAJPUR	BHILWARA
5	RAJVEER YADAV	MAHARANA GOVT. HR. SEC. SCH. JAHAJPUR	BHILWARA	GOVT. SR. SEC. SCH. ASAWATA	PRATAPGARH
6	AMARJEET SINGH	MALOO GOVT. SR. SEC. SCH. RAMSAR	BARMER	GOVT. SR. SEC. SCHOOL KHATRIYON KI BERI, DHORIMANA	BARMER

उक्त कार्मिक नवीन पदस्थापन स्थान पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेंगे। क्रम संख्या 2, एवं 5 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भरता देय होगा। जिन कार्मिकों का परीवीक्षकाल पूर्ण नहीं हुआ है, उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। RVRES कार्मिकों को नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें। लघु समय से अनुबन्ध/निलम्बित/कोर्ट स्थगन कार्मिकों को उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावें एवं निदेशालय को सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के बाद ही नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावें। एम.एड. योग्यताधारी कार्मिकों को ही डाईट में कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावें। पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत होने की स्थिति में व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक को संबंधित संयुक्त निदेशक—स्कूल शिक्षा कार्यालय में आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।




(निश्चल डिल्लौ)  
आईएस  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी—3/भौगृ/भीतिक/स्थानान्तरण/2019/05  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक— 29/03/19

- विशेष सहायक, भानीय शास्त्र नंत्री(स्वतंत्र प्रभारी)प्रा.मा.शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(युप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- शासन उप सचिव, शिक्षा(युप-2)विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक—स्कूल शिक्षा/जिला शिक्षा अधिकारी(युव्यालय)माध्यमिक
- सम्बन्धित मुख्य लोक शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सम्बन्धित कार्मिकों के नियमानुसार कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही तीन दिवस के भीतर सम्बन्धित करवाकर निदेशालय को प्रगति देवें।
- सम्बन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अद्यतन करावें। सम्बन्धित कार्मिकों का कार्यग्रहण/ कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शालादर्पण के माध्यम से ही की जावें।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण की प्रभावी मोनिटरिंग करें।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अद्यतन करने हेतु
- सम्बन्धित कार्मिक
- रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,  
बीकानेर